INDUSTRIES(Gr-I)DEPARTMENT NOTIFICATION

Jaipur, January 25, 2011

- G.S.R. 85.—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Ordinance, 2010 (Ordinance No. 04 of 2010), the State Government hereby makes the following rules, namely:-
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called The Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Rules, 2011.
- publication in the Official Gazette, and are of their
- 2. **Definitions.** (1) In these rules unless the context otherwise requires.
- issued for receipt of completed application either in physical or electronic format under these rules;
- or electronic format as prescribed under any Rajasthan
 Laws/Orders/Guidelines or as notified by the State
 Government;
- (c) "Authorized Officer" means General Manager, District
 Industries Centre or an officer authorized by him not
 below the rank of District Industries Officer, in case of
 Nodal Agency for the District Empowered Committee
 and an officer authorized by Commissioner, Investment
 and NRI (Bureau of Investment Promotion) in case of
 Nodal Agency for the State Empowered Committee;
- (d) "District Empowered Committee" means the committee constituted under sub-section (3) of section 3 of the Ordinance;
- (e) "Fee" means the fee prescribed under any Rajasthan
 Laws/Orders/Guidelines or as notified by the State
 Government, for submitting application for permissions/

- no objection certificate/clearance/allotment/consent/ approval/registration/Licence and the like;
- (f) "Form" means Form appended to these rules;
- (g) "Nodal Agency" means the agencies notified under sub-section (1) or (2) of section 5, as the case may be, of the Ordinance; Sales of the Ordinance;
 - (h) "Ordinance" means the Rajasthan Enterprises Single Window Enabling and Clearance Ordinance, 2010 (Ordinance No. 04 of 2010); The state of the bolles
- (i) "Register of Applications" means register of applications received by the authorized officer either in physical form or electronic form; (6) and at nontaileding
 - (j) "Schedule" means Schedule appended to these rules;
 - (k) "Section" means a section of the Ordinance;
 - (I) "State Empowered Committee" means the committee constituted under sub-section (1) of section 3 of the Ordinance; and
 - (m) "Time Limit" means the number of working days specified in Schedule-I or Schedule-II, as the case may be.
- (2) Word or expression used in these rules but not defined in these rules have the same meaning as assigned to them in the Ordinance.
- 3. Application.-(1) Every applicant seeking for clearances required for establishment of a enterprise shall apply in the Application Form either in electronic format or in physical format. Where the clearance is not covered by the prescribed Application Form, the applicant shall file application in the form specified by the Government from time to time.
 - (2) Every applicant seeking for clearance required for operation of an enterprise before commencement of commercial production, shall apply in the Application Form either in electronic format or in physical format. Where the clearance is not covered by the prescribed Application Form the applicant shall file application in the form specified by the Government from time to time.

- (3) The Application Form duly filled along with relevant enclosures, certificates, proof of fee deposit and attachments can be submitted either in electronic format or in physical format.
- (4) All applicants shall furnish the self certification in Form-1, along with the Application Form.
- (5) Before issuing the acknowledgement, the nodal agency, shall satisfy itself that-
- (a) all relevant columns of the Application Form are filled and to an important and and an important and an important
- all the relevant and prescribed documents have been enclosed:
- (c) the prescribed fees receipts have been enclosed; and
- bim (d) self certification has been furnished by the applicant.
- 4. Processing and monitoring of applications at the level of Nodal Agency.-(1) The authorized officer shall receive the application form and assist the investor in completing the application form and he shall issue acknowledgement of completed application form in Form-2.
- (2) Immediately after issue of the acknowledgement the particulars of the application submitted shall be entered by the authorized officer in the register of applications.
- (3) The Register of applications shall be scrutinized and verified by the authorized officer at the end of each working day.
- (4)The Authorized Officer shall on receipt of application, within the time specified in these rules, forward the same to the Competent Authority for disposal within time limit specified in these rules. The applications so forwarded shall be monitored by the concerned Nodal Agency.
- (5) The Competent Authority shall process the application and communicate the decision to the nodal agency within the time limit specified in these rules.
- (6) The Application on which the Competent Authority has taken a decision within the prescribed time limit, the decision so taken shall be entered into the Register of applications and the

status of the applications shall be submitted by the Nodal Agency to the State Empowered Committee or the District Empowered Committee, as the case may be, in the next meeting of the concerned Empowered Committee.

- (7) The Application on which the Competent Authority has failed to take a decision within the prescribed time limit, the Nodal Agency shall place the application before the State Empowered Committee or the District Empowered Committee, as the case may be, for consideration in the next scheduled meeting of the concerned Empowered Committee within the prescribed time limit. In case the concerned Empowered Committee is unable to meet or otherwise unable to consider application, placed before it by the Nodal Agency, immediately, the Nodal Agency shall submit the application to the Chairperson of the concerned Committee. The Chairperson of the Committee, after recording the reasons in writing, may decide the application and such decision shall be placed before the concerned Committee in its next meeting. The decision taken by the chairperson on the application shall be final subject to the decision of the Committee.
- (8) The Nodal Agency of State Empowered Committee shall receive Application for relaxations, exemptions and concessions for grant of customized package and seek comments of the concerned Departments or Authorities. The Nodal Agency shall submit the application for the customized package before the State Empowered Committee after the expiry of the period as specified in these rules for the comments from the concerned departments or authorities along with the comments received and even when the comments are not received.
- 5. Processing and monitoring of applications at the level of Competent Authority.-(1) The Competent Authority shall, after receipt of the application from the Nodal Agency for permission, no-objection certificate, clearance, allotment, consent, approval, registration, enrolment, licence and the like shall consider and take decision on the application within the time limit specified in these rules.

- (2) The Competent Authority may obtain additional information, which it considers necessary for taking a decision, from the applicant. Such additional information can be obtained only once and for seeking such information the requisition letter shall be sent through the Nodal Agency in both the cases of the applications process i.e. electronically or physically. The applicant shall submit the additional information to the nodal agency, while counting the time limit, the time taken by the applicant in submitting additional information shall not be counted.
- (3) The Competent Authority after taking a decision on the application within the specified time limit, shall communicate the same to the applicant investor and will send a copy of such communication to the concerned Nodal Agency within a period of 3 days.
- (4) In cases of applications in which the Competent Authority has failed to take a decision within the prescribed time limit, the Competent Authority shall forward the application along with the record of processing of the application to the Nodal Agency within three working days from the expiry of the specified time limit.
- 6. Time limits for processing and disposal of applications.-(1) The time limits for processing and disposal of applications shall be as specified in Schedule-I or Schedule-II, as the case may be.
- (2) The State Government may by notification in the Official Gazette, add to or omit from, or otherwise amend or modify the Schedules appended to these rules and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.
- 7. Monitoring.-Status report of processing of the application for permissions and/or customized packages, concessions, exemptions or relaxations, shall be placed before the District Empowered Committee and the State Empowered Committee, as the case may be by the respective Nodal Agency.

- 8. Jurisdiction of the State Empowered Committee and the District Empowered Committee.-(1) The District Empowered Committee shall be competent to consider and dispose of the application for permissions for investment proposals up to ₹10.00 crores.
- consider and dispose of the application for permission for investment proposals above \$10.00 crores.
- (3) All applications for customized packages, concessions, exemptions or relaxations shall be considered by the State Empowered Committee and this committee shall submit its recommendations to the Council of Ministers.
- 9. Miscellaneous.-(1) In cases where the decision are taken by the District Empowered Committee because of the failure of the Competent Authority to decide the application for permission submitted by the applicant within the time limit, specified in these rules, the District Empowered Committee may recommend to the Government through the State Empowered Committee for appropriate action against the concerned Competent Authority which has failed to decide the application within the specified time limit, again to be a pairwood of the specified time
- Empowered Committee because of the failure of the Competent Authority to decide on the application for permission submitted by the applicant, State Empowered Committee may recommend to the State Government for appropriate action against the concerned Competent Authority which has failed to decide the application within the specified time limit.
- (3) The State Government may assign any other function as it deems proper to the State Empowered Committee and the District Empowered Committee.
- 10. Removal of doubt.-If any difficulty arises in the application or interpretation of these rules, it shall be decided by

the State Government in the Industries Department whose decision thereon shall be final.

Schedule-I

See Rule 6

Time Limit for Various Permissions/Clearances

S.	CONCE	ERNED		1	PERMISSIONS/	TIME LIMIT
Vo.	DEPART	MENTS/	oit	Billis	CLEARANCES	(WITHIN
	ORGANI	ZATION	ini	aild:	Esta	WORKING
			10	Mo	The	DAYS)
1	2	1961 7	3	4	0// 5	6
1.	Departme I. Factori Boilers	ent disconnection of the contract of the contr	int is i	iblis Bid kert		45 days from date of receipt of complete application
	30 days		(b)	Also cips bills ance	Approval of factory layout plan under Factories Act, 1948	30 days from date of submission of complete application along with map
	45 days	lo t emo	del	niole Tust	License for running the factory to be issued by the field office	45 days after receipt of complete application
			don		Registration of Boiler by Chief Inspector of Boilers	After the receipt of complete application
		i h	1	(i)	Provisional order	30 days
		hders)	0 9	(ii)	Final order	45 days
	II. Labour Depart		(a)	1.0x	Registration of Shops and Commercial	10 days

Digital based v	2 (19)(11)(18)(3) (4)	Paulon and 5 marings		mil.
	- - - - - - - - - -	Commercial		
		Establishments Act,	111.1	
TIME LIMI	HOUS STONS/	1958 GEVAS	38163.3	
NIHIIM)	(b)	Registration of	10 days	
WORKING		Establishments under	ORGAN	
DAYS)		The Motor Transport		
8		Workers Act, 1961		1
45 days fron			10 days	- 1
date of	redous industries	Establishments under	Employ	
receipt of	to thing pair of	The Bidi and Cigar	ntangaCl	
complete	v of health safety	Workers Act, 1966	1, 1-acto	
application	lo (d) 5%	Under Contract	alioti	
	kers	Labour (Regulation	Inspe	
30 days from	rovil of factory	and Abolition) Act,		
date of	ut plan under			
no seimons	(i)	Registration of	30 days	
of complete		Principal Employers		
application	90 97 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	Establishments	and the second	
atong with	(ii)	Issuance of Licence	10 days	
qam	1	to Contractor for		
45 days after	nse for running	employment of		
receipt of	actory to be	contract labours		
complete	ed by the field	URE(I - I - I		
application		Permission to	45 days	
After the		establishments		
leceipt of	er by Chief	having more than 50	į.	
complete	ector of Boilers	labours under		
application		Industrial	6	
30 days	risional order	Employment		
45 days	d order	(Standing Orders)		
10 days	istration of Shops		oda.1.11	
	Commercial	bone	BrisiCL.	

1	0 2	3	4	15	6
	of completes application I District Collector 60 days fron selmission of completed	(f)		of Employment and conditions of Services) Act, 1996	15 days
2.	Commercial Taxes Depar			Registration under VAT Act	24 hours
		(b) Hol	Registration under CST Act	24 hours
		bria.l iso) _{L2} / L LE S (IR	Tax Clearance Certificate	1 day in case of non- default of tax payment
3.	Department Technical Education Total	lite	de pl	NOC to establish ITI, Polytechnic, Engineering College, MBA, MCA institutes in the state	30 days from receipt of information of filing of an application to AICTE in the prescribed format
	Revenue of the state of the sta	the	on no	Land conversion— Conversion of land use under Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural Purposes in Rural Areas) Rules, 2007	
	from the date of		(i)	up to 10 hectares	30 days from submission

1	0 2	1 1 1	3	4	15	6
	i.5 days		an of	HETER S	(f) Registra Establis Buildin Constru	of completed application to District Collector
	24 hours	bns I	100	loya as o as o o as o as o	above 10 hectares	60 days from submission of completed application to State Government
	24 hours 1 day in case of non- default of the		(b)	tion L aren	Land Allotment— under Rajasthan Land Revenue (Industrial Area Land Allotment) Rules, 1959	
	receipt of information of filing of a application t AICTE in the		bla Ce	esta anic ring dCA	District level	30 days from submission of completed application to District Collector
The second second	format	bend	of of ue	(ii) not store er R	In case Government's approval is required	60 days from submission of completed application to State Government
	30 days from		Ru Ru s, 2	nicu s in čule	Exemption in the land ceiling limit	60 days at the level of State Government from the date of

1	a 2		3	4	5	6
		H	()	300	or que bos	submission
	21 days from	1		Der	(i) Issue of	of application
	To tologon				Notice	in the District
	nobesilena					Collector's
	of days after			10	sandol (ii)	office
5.	Energy			RO	Release of power	
	Department				connection	
	(Jaipur Vidhy	ut				
	Vitran Nigam)YE	(62	(c) log load	
7			(a)	MIE	For loads up to 25	
					kw	
	nort symb-co	- 1	(TB)	(i)	Issue of Demand	21 days from
	receipt of				Notice	receipt of
	application					application
t	ं एते वाल इत्योदा			(ii)	Release of	30 days after
	compliance			11e	connection	compliance
	brismoO3o					of demand
	Notice.					notice if no
			9.1		heal will fall	augmentation
				nno	wa 000£	is required,
					2000 les	otherwise 45
	21 days from		nian	maC	to ausel (1)	days
+	receipt of		(h)		For loads above	days
	application		(b)		The party of the p	
	41.70 gazka			1 te	25kw and up to 300	
4	after		_	-00	kwanoo	01.1.0
	compliance			(i)	Issue of Demand	21 days from
	ofDemand				Notice	receipt of
	Notice.					application
	45 days from		WO	(ii)	Release of	60 days after
	the date of				connection	compliance
	submission					of Demand
	of complete					Notice.
	ардісацоп		(c)		For loads above 300 kv	/

1	0 2		3	4	15 6	6
T	noissimdus				and up to 2000 kw	
	of application in the District Collector's			(i)	Issue of Demand Notice	21 days from receipt of application
	esifte			(ii)	Release of	60 days after
		70		q3o no	connection	compliance of Demand Notice.
1			(d)		For loads above	Vitran Migan
		. 20		dh s	2000 kw and up to 3000 kw	
	21 days from	Li	tei	(i)	Issue of Demand Notice	60 days from receipt of application
	30 days after compliance of demand			(ii)	Release of connection	60 days after compliance of Demand Notice.
	ronce it no agmentation is required.		(e)		For load above 3000 kw and up to 5000 kw	
	otherwise 45 days))))	(i)	Issue of Demand Notice	21 days from receipt of application
		300	of	(ii)	Release of connection	120 days after
	21 days from receipt of application	Ь		Dem	(i) Issue of	of Demand Notice.
6.	Tourism Department		(a)	AC	Project Approval	45 days from the date of submission of complete application

1	ò	2 3	4	4 15	6
7.	RIICO	(a) gols	Sanction of loan	40 days
		(b)	ges	Allotment of plots in	30 days
	15 days	lavs Level	1 in	Industrial Areas	
	25 days	19/31 991 (e)	Issue of NOC to the	15 days
		anut be a	ians	authority concerned	
				regarding conversion	
		m of the	1	-3.4.3.4.4.4.4.	
		a ple	Dell	agriculture land— at	
		ion of the	pign	Unit Office Level	
		(d	100	Transfer permission	15 days
	15 days	lave Level	lin	in case of sale of plot	
	25 days	Office Level	ead	by the allottee—at	
	45 days	-985 01 00	ain	Unit Office Level	
				Transfer permission	15 days
		Head Office	16	in case of death of	
			b	the plot holder—at	
	30 days			Unit Office Level	
		t) in allowed		Merger of Plots—at	15 days
		Head Office	18-	Unit Office Level	
		(e)	Restoration of a	15 days
		on in set-	IXA	cancelled Plot— at	
			-2)	Unit Office Level	
	15 days	1979.1 301 (f	1111	Compounding of	15 days
	30 days	Dijce Level	JES	unauthorized	
			dzili	constructions in an	8. Agricult
		Vio	nissi	allotted plot— at 310	. Agricul
		ation/	100	Unit Office Level	Market
		901 (g) IIII	Allotment/Regulari-	15 days
		te for	apiti	zation of strip of	
	1	%001—105%	ilim	land/excess land—	
		soluble/	ater	at Unit Office Level	
		(h) 1011	Extension of time	
		90	HIXII	period for payment of	

1	9	2	3	4	1 85	6	1
	40 days	nsoi	Q.E	ada	development	RHCO	70
	30 days		In	ami	charges -		
			A lis	itrza	at Unit Office Level	15 days	
	15 days		pv	n s	at Head Office Level	25 days	
		moerned."	(i)	thos	Extension of time	2	
			b _a	pring	period for making		
			STU	dos	allotted plot		
			pil	101	(completion of the		
	15 days		ig:	slen	project)		
			210	586	at Unit Office Level	15 days	
			oll	a pri	at Head Office Level	25 days	
					Permission to sub-	45 days	
	15 days		q q	Stan	divide the allotted		
			130	GZE	plot-at Head Office		
		derat					
					Conversion/change in	30 days	
	15 days		10	reger	land use of an allotted		
			off	101	plot-at Head Office		
	15 days		ois	utoj	Level		
		ts —to!	and discountries	-	Relaxation in set-		
					backs-		
	15 days		inu	oqn	at Unit Office Level	15 days	
				odin	11 1 1 1 1 1 1 1	30 days	
8.	Agricul	ture /	(a)	untis	Fertilizer—		
	Agricul	ture III	la.	Dona	Permission/		
		ing SVOL	1		Authorization/		
					Manufacturing		
					a 10 a		
					a. Fertilizer—100%		
			1 1		water soluble/		
			1 1		micro particle		
			70	6	mixture		

1	0	2	3	4	5	6
¥-	eveb 0a	1	10	emp	b. Bio-Fertilizer	
				G to you	c. Carbonic	
				in hear	Fertilizer—	
			711	II HG	Compost/wormy	1 5/1
			SHI	1,1111	compost	
			tota a	SAGE	compost i) Sale	30 days
					i.) Sale authorization	20 44,0
				PE OF	under Section	
					0 of Fartilizer	
			190	li is	(Control)	
			eun	eng	Order, 1985	
			по	mne		15 1
			354	dua	ii) Manufacturing	45 days
			al l	e i rec	Certificate	
		nudri Flo	ho	upun		
			m	gols	15 of Fertilizer	100
			ne	210		1-10
	4	batish	nsi	ORR		
			(b)	201	Phyto-Sanitary	5 days after
	mark Dk			110	Certificate .	receipt of test
	40 days				100	report from
		all kinds	10	BYO	ddu	laboratory
9.	UDH D	epartment			90B of Agriculture	90 days
	(JDA/U	ITs)	613	esmi	Land	
		tential	(0)		Conversion of land	60 days
			igi	iboo	use from residential	- 1
				SHE	to commercial	
	eynb 00	le jayout ob	(c)	VOR	Land conversion	60 days
				Sch	from agriculture land	1
	20 days			else	to non-agriculture	
	CAMPA PRE		0.3	DISE	land	
			1.00	1010	Y CY	26.1
		VECV	(d))	Issuance of Lease	26 days
		bru			Deed for residential/	26 days
			STE	ledi eloj hori	The state of the s	26 days

1	10	2	3	4	. 5	6	1
	30 days	wormy brization Section	(e)	in-s eral eral comp omp omp omp omp omp omp omp omp omp	Allotment of institutional land except the allotment of land through lottery/auction and of the developed land given as compensation for	60 days	
ller	45 days	errillaer sod) t. 1985 dicate licate Section Fertilizer trol)	molecularity of the control of the c		Government/ Semi- Government departments/ institutions and acquired land—under instruction of Urban Development and Local Self Department dated 4-1-2010		
11	s imisom		(f)		Building map	40 days	
	fil hoger omicdal		(1)		approval of all kinds	.0 4453	
	90 days	fculture	gA		of institutional and commercial buildings	a nas Uv.al)	
	eyab 0ð	sidential	n-n		exceeding 500 sq.mtrs.		
	eyeb 0a		(g)		Approval of layout of the Scheme	60 days	
	26 days	Loase sidential/	7 7	oresi S bi	Transfer of title of the plot in <i>Nizi Khatedari</i> and Development Authority's schemes	20 days	

1	€2	3	4	5 0	6	1
noi	days after complete of processing mentioned at S.No.				20 days q	5
	day		Te	Samitionisiuper edt g	Forwardin	
		(j)	the	Sub-division and old reorganization of UA		
	day			residential plots upto		4
		(k)		Approval for A Insieq	22 days	
	0 days counted from		n fo	residential plots upto	permission	
10.	Medical & Health Directorate	(a)	y ha	Drug License	h - 1 t - 12 2	
Lake	nocessing of the Not		(i)	Wholesale	15 days	
	pproximento me iso Agency as ner Rule 5		(ii)	Retail	15 days	
(*)	5 days	(b)	ni e	Manufacturing of gauge bandage, cotton, repacking	ease the C	(ii)

otherwise enable to consider the application immediately

6. Comments to be asked frestubence

2 days from the receipt of the

Competent Authority/co slur 992
Departments or Authority A-tarq

Time Limit for Nodal Agency for State Empowered
Committee/District Empowered Committee

S.	TIME LIMIT FOR SIMON	7 STIMIL BMIT the comm
N.	ithin the time	(WITHIN WORKING
		limit(YAGribed for Con
1	partments or 2 .	Author Ey/concerned De
1.	Processing of the application received	ed 1 days of visionsuA
	from the investor	Empowered Committee

1	2 2	3
2.	Forwarding the application to the Competent Authority	5 days after completion of processing mentioned at S.No. 1
3.	Forwarding the requisition letter of additional information sought by the Competent Authority	1 day
4.	Forwarding the information of additional information received from the applicant to the Competent Authority	l 1 day
5.	lal Agency to place the application for permission—	
(i)	before the concerned Empowered Committee for decision in cases where the concerned competent authority has failed to decide the application within the prescribed time limit	
ii	before the chair person of the concerned Empowered Committee in case the Committee enable to meet or otherwise enable to consider the application immediately	5 days
6.	Comments to be asked from the Competent Authority/concerned Departments or Authority on application/request for concessions, exemptions or relaxations or grant of Customized Packages	2 days from the receipt of the application/request
7.	Submission of the comments, if received/not received within the time limit prescribed for Competent Authority/concerned Departments or Authority, to the concerned	5 days
	ruthoffty, to the concerned	CHARLEST TO STREET OF THE

one, in marting a relevant laws and undertake

Time Limit for State Empowered Committee for submitting recommendations to the Council of Ministers

S. N.	TIME LIMIT FOR	TIME LIMIT (WITHIN WORKING DAY)
1.	Submission of recommendations on the application/request for concessions, exemptions or relaxations or grant of Customized Packages to the Council of Ministers	30 days

Part-C

Time Limit for Competent Authority/concerned Departments or Authority for submitting comments asked to the Nodal Agency on application/request for concessions, exemptions or relaxations or grant of Customized Packages shall be 25 working days.

Part-D

Time limit for the State Empowered Committee/District Empowered Committee for processing the application for permissions/clearances in case the Competent Authority has fail to take a decision in the prescribed time limit shall be 30 working days counted from the receipt of application along with record of processing of the application to the Nodal Agency as per Rule 5(4).

FORM-1 See Rule 3(4) Self-Certification

I/We	► S/o.		4
R/o.			and I am
authorized signatory for M/s.			,
hereby state as under:-			
1. That I/We have applied for	A tera correspondente		under
the provisions of the Rajasthan	Enterprises	Single	Window
Enabling and Clearance Ordinance, 2	010.		

2. That I/We have gone through all the relevant laws and undertake to abide by the same immo Dearwood Easte Tollies I amil a group of Ministers

Place TIME LIMIT 9381	For M/s.MII SIMII	1.8
Date(MORK) Date(MORK)		N
DAY)- 30 days	See Rule 4(1)	
Gov	ernment of Rajasthan	
	Acknowledgement	
by	Packages to the Council of Winisters	

Patt—C Date Date Date Competent Authority concerned Departments or Authority lor submitts/M emorate breish the Departments or Authority for submitts/M emorated proposed to the Competent of Competent o

Q-tre9

Time limit for the State Empowered Committee District Empowered Committee for processing the application for permissions/clearances in case the Competent no os bns lus fail to take a decision in the prescribed time limit shall be 30 working dassiffO bestrochtuA to stutengig application along with record of processing of last this cation to the Nodal Agency as per Rule 5(4).

and I am	n S/o.	No. F. 14 (5) Udyog/1/2010] By Order of the Governor, श्याम लाल गुर्जर Deputy Secretary to Government.
		authorized signatory for M/s,
	/	hereby state as under:-
under ngle Window	Government Signature	the provisions of the Rajasthan Enter



राजस्थान राज-पत्र

विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

Published by Authority

माघ 6, बुधवार, शाके 1932—जनवरी 26, 2011 Magha 6, Wednesday, Saka 1932—January 26, 2011

> भाग 4 (ग) उप—खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य—प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप—विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

उद्योग (ग्रुप-1) विभाग

प्रवास क्रमित्वकाच्या प्रवास कर्ताच अधिसूचना

प्रस्कृतिक कर्म किर्मात क्रिक्त कर्म जयपुर, जनवरी 25, 2011

जी.एस.आर. 85:—राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं. 4) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित निथम बनाती है, अर्थात :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन नियम, 2011 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से ही प्रवृत्त होंगे।
 - 2. परिभाषाएं.-इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) ''अभिस्वीकृति'' से इन नियमों के अधीन संपूरित आवेदन की प्राप्ति के लिए या तो भौतिक या इलेक्ट्रोनिक रूपविधान में जारी की गयी अभिस्वीकृति अभिप्रेत है;
- (ख) ''आवेदन प्ररूप'' से किन्हीं राजस्थान विधियों / आदेशों / मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन यथा–विहित या राज्य सरकार द्वारा यथा– अधिसूचित या तो भौतिक या इलेट्रोनिक रूपविधान में प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ग) "प्राधिकृत अधिकारी" से जिला सशक्त समिति के लिए नोडल एजेन्सी की दशा में प्रधान प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो जिला उद्योग अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो और राज्य सशक्त समिति के लिए नोडल एजेन्सी की दशा में आयुक्त, विनिधान और एनआरआई (विनिधान संवर्धन ब्यूरो) द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

- (घ) "जिला संशक्त समिति" से अध्यादेश की धारा 3 की उप–धारा (3) के अधीन गाँउत समिति अभिभेत हैं ;
 - (ङ) "फीस" से अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाणपत्र/अनुज्ञापन/आवंटन/ सहमति/ अनुमोदन/रिजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति इत्यादि के लिए आवंदन प्रस्तुत करने के लिए किन्हीं राजस्थान विधियों/आटेशों/नार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन विहित या राज्य सरकार द्वारा यथा—अधिसूचित फीस अभिप्रेत है;
 - (च) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है :
 - (छ) "नोडल एजेन्सी" से अध्यादेश की धारा 5 की उप-धारा (1) या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचित एजेन्सियां अभिप्रेत हैं ;
 - (ज) "अध्यादेश" से राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं. 4) अभिप्रेत है ;
 - (झ) "आवेदनों का रिजस्टर" से या तो भौतिक प्ररूप या इलेक्ट्रोनिक प्ररूप में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया आवेदनों का रिजस्टर अभिप्रेत है :
- (ञ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है :
 - (ट) "धारा" से अध्यादेश की कोई धारा अभिप्रेत है ;
- (ठ) "राज्य सशक्त समिति" से अध्यादेश की घारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ; और
 - (ड) "समय—सीमा" से अनुःतूची—1 या, यथास्थिति, अनुसूची—2 में विनिर्दिष्ट कार्य दिवसों की संख्या अभिप्रेत है।
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा उन्हें अध्यादेश में समन्दिष्ट किया गया है।
- 3. आवेदन.—(1) किसी उद्यम की स्थापना के लिए अपेक्षित अनुज्ञापन चाहने वाला प्रत्येक आवेदक या तो इलेक्ट्रोनिक रूपविधान में या भौतिक रूपविधान में के आवेदन प्ररूप में आवेदन करेगा। जहां अनुज्ञापन विहित आवेदन प्ररूप में समाविष्ट नहीं होता हो वहां आवेदक सरकार द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट प्ररूप में आवेदन फाइल करेगा।
- (2) वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ के पूर्व किसी उद्यम के प्रचालन के लिए अपेक्षित अनुज्ञापन चाहने वाला प्रत्येक आवेदक या तो इलेक्ट्रोनिक रूपविधान में या भौतिक रूपविधान में के आवेदन प्ररूप में आवेदन करेगा। जहां अनुज्ञापन विहित आवेदन प्ररूप में समाविष्ट नहीं होता हो वहां आवेदक सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्ररूप में आवेदन फाइल करेगा।

- (3) सुसंगत संलग्नकों, प्रमाणपत्रों, फीस निक्षेप के सबूत और संयोजनों के साथ सम्यक् रूप से भरा हुआ आवेदन प्ररूप या तो इलेक्ट्रिनिक रूपविधान में या भौतिक रूपविधान में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- करेंगे। क्रिक्ट अपनेदक आवेदन प्ररूप के साथ प्ररूप-1 में स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करेंगे। क्रिक्ट अपनेद कि विक्रिक्ट कि विक्रिक्ट कि विक्रिक्ट कि
- (5) अभिस्वीकृति जारी करने के पूर्व, नोडल एकंस्सी स्वयं का समाधान करेगी
 - (क) आवेदन प्ररूप के समस्त सुसंगत स्तम्भ पूर्ण रूप से भरे गये हैं;
 - (ख) समस्त स्संगत और विहित दस्तावेज संलग्न कर दिये गये हैं;
 - (ग) विहित फीस की रसीदें संलग्न कर दी गयी हैं; और
 - ाइ (घ) आवेदक द्वारा स्व-प्रमाणन प्रस्तुत कर विया गया है।
 - 4. नोडल एजेन्सी के स्तर पर आवेदनों पर कार्यवाही और मानीटर करना.-
- (1) प्राधिकृत अधिकारी आवेदन प्ररूप प्राप्त करेगा और आवेदन प्ररूप को पूर्ण करने में विनिधानकर्ता की सहायता करेगा और वह प्ररूप-2 में संपूरित आवेदन प्ररूप की अभिरवीकृति जारी करेगा।
- (2) अभिस्वीकृति जारी करने के तुरन्त पश्चात् प्रस्तुत आवेदन की विशिष्टियां प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदनों के रजिस्टर में प्रविष्ट की जायेंगी।
- (3) आवेदनों का रिजस्टर प्रत्येक कार्य दिवस की समाप्ति पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांचा और सत्यापित किया जायेगा।
- (4) प्राधिकृत अधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर, इन नियमों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसे सक्षम प्राधिकारी को, इन नियमों में विनिर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर निपटारे के लिए, अग्रेषित करेगा। इस प्रकार अग्रेषित आवेदन सम्बन्धित नोडल एजेन्सों द्वारा मानीटर किये जायेंगे।
- (5) सक्षम प्राधिकारी आवेदन पर कार्यवाही करेगा और इन नियम, में विनिर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर नोडल एजेन्सी को विनिश्चय से संसूचित करेगा।
- (6) आवेदन, जिस पर सक्षम प्राधिकारी ने विहित समय—सीमा के भीतर कोई विनिश्चय लिया है, इस प्रकार लिया गया विनिश्चय आवेदनों के रिजस्टर में प्रविष्ट करेगा और आवेदनों की प्रास्थित नोडल एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित सशक्त समिति की आगामी बैठक में राज्य सशक्त समिति या, यथास्थित, जिला सशक्त समिति को प्रस्तुत की जायेगी।
- (7) आवेदन, जिस पर सक्षम प्राधिकारी विहित समय-सीमा के भीतर कोई विनिश्चय लेने में विफल रहा है, नोडल एजेन्सी आवेदन को राज्य सशक्त समिति या,

यथास्थिति, जिला सशक्त समिति के समक्ष संबंधित सशक्त समिति की आगामी नियत बैठक में विहित समय-सीमा के भीतर विचार करने के लिए रखेगी। यदि संबंधित संशक्त समिति बैठक करने में असमर्थ है या नोडल एजेन्सी द्वारा इसके समक्ष रखे गये आर्वेदन पर विचार करने में अन्यथा असमर्थ है तो नोडल एजेन्सी तुरन्त सम्बन्धित समिति के अध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत करेगी। ऐसी समिति का अध्यक्ष, कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात, आवेदन पर विनिश्चय कर सकेगा और ऐसा विनिश्चय संबंधित समिति के समक्ष उसकी आगामी बैठक में रखा जायेगा। आवेदन पर अध्यक्ष द्वारा लिया गया विनिश्चय समिति के विनिश्चय के अध्यधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

- (8) राज्य सशक्त समिति की नोडल एजेन्सी अनुकृलित पैकेज की मंजूरी के लिए शिथिलीकरणों, छूटों और रियायतों के लिए आवेदन प्राप्त करेगी और सम्बन्धित विभागों या प्राधिकारियों की टिप्पणियां मांगेगी। नोडल एजेन्सी, संबंधित विभागों या प्राधिकारियों से टिप्पणियों के लिए इन नियमों में यथा-विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात अनुकूलित पैकेज के लिए आवेदन, प्राप्त टिप्पणियों के साथ और टिप्पणियां प्राप्त न होने पर भी, राज्य सशक्त समिति को प्रस्तृत करेगी।
- 5. सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर आवेदनों पर कार्यवाही और मानीटरी.-(1) सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञा, अनापत्ति प्रमाणपत्र, अनुज्ञापन, आवंटन, सहमति, अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण, अभ्यावेशन, अनुज्ञप्ति इत्यादि के लिए नोडल एजेन्सी से आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् उन पर विचार करेगा और इन नियमों में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर ाबेदन पर विनिश्चय करेगा।
- (2) सक्षम प्राधिकारी, आवेदक से ऐसी अतिरिक्त जानकारी अभिप्राप्त कर सकेगा जो वह विनिश्चय करने के लिए आवश्यक समझे। ऐसी अतिरिक्त जानकारी केवल एक बार अभिप्राप्त की जा सकती है और ऐसी जानकारी चाहने के लिए अध्यपेक्षा पत्र, आवेदनों की कार्यवाही के दोनों ही मामलों में अर्थात इलेक्ट्रोनिक रूप से या भौतिक रूप से, नोडल एजेन्सी के माध्यम से भेजा जायेगा। आवेदक नोडल एजेन्सी को समय-सीमा की गणना करते हुए अतिरिक्त जानकारी भेजेगा, अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करते समय आवेदक द्वारा लिये गये समय की गणना नहीं की जायेगी।
- (3) सक्षम प्राधिकारी, विनिर्दिष्ट समय-सीमा में, आवेदन पर विनिश्चय करने के पश्चात आवेदक विनिधांनकर्ता को इससे संसूचित करेगा और 3 दिवस की कालावधि के भीतर सम्बन्धित नौडल एजेन्सी को ऐसी संसूचना की प्रति भेजेगा।
- (4) ऐसे आवेदनों के मामलों में, जिनमें सक्षम प्राधिकारी विहित समय-सीमा के भीतर विनिश्चय करने में विफल रहा है, सक्षम प्राधिकारी आवेदन को, आवेदन पर

कार्यवाही के अभिलेख सहित, विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अवसान से तीन कार्य दिवस के भीतर, नोडल एजेन्सी को अग्रेषित करेगा।

- 6. आवेदनों पर कार्यवाही करने और उनके निपटारे के लिए समय सीमाएं.-(1) आवेदनों पर कार्यवाही करने और उनके निपटारे के लिए समय-सीमाएं वे होंगी जो अनुसूची-1 या, यथारिथति, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट हैं। हिंहि अवस्त का लाही वर्षाव वर्षा
- (2) राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, इन नियमों से संलग्न अनुसूचियों को जोड सकेगी या उनका लोप कर सकेगी, या अन्यथा संशोधित या उपान्तरित कर सकेगी और तब अनुसूची तदनुसार संशोधित की गयी समझी जायेगी।
- 7. मानीटरी करना.-अनुज्ञाओं और / या अनुकृतित पैकेजों, रियायतों, छूटों या शिथिलीकरणों के आवेदनों पर कार्यवाही का प्रास्थिति प्रतिवेदन सम्बन्धित नोडल एजेन्सी द्वारा जिला सशक्त समिति और, यथास्थिति, राज्य सशक्त समिति के समक्ष रखा जायेगा।
- 8. राज्य सशक्त समिति और जिला सशक्त समिति की अधिकारिता.-(1) जिला सशक्त समिति ₹ 10.00 करोड़ तक के विनिधान प्रस्तावों की अनुज्ञाओं के लिए आवेदन पर विचार करने और उनके निपटारे के लिए सक्षम होगी।
- (2) राज्य सशक्त समिति ₹10.00 करोड़ से अधिक के विनिधान प्रस्तावों की अनुज्ञा के लिए आवेदन पर विचार करने और उनके निपटारे के लिए सक्षम होगी।
- (3) अनुकूलित पैकेजों, रियायतों, छूटों या शिथिलीकरणों के लिए समस्त आवेदनों पर राज्य सशक्त समिति द्वारा विचार किया जायेगा और यह समिति अपनी सिफारिशें मंत्रीपरिषद को प्रस्तुत करेगी।
- 9. प्रकीर्ण.—(1) ऐसे मामलों में जहां, इन नियमों में विनिर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर आवेदक द्वारा अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय करने में विफल रहने के कारण, जिला सशक्त समिति द्वारा विनिश्चय लिया जाता है वहां जिला सशक्त समिति सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी के विरुद्ध, जो विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आवेदन पर विनिश्चय करने में विफल रहा है, समुचित कार्रवाई के लिए राज्य सशक्त समिति के माध्यम से सरकार को सिफारिश कर सकेगी।
- (2) ऐसे मामलों में जहां आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुज्ञा के लिए आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय करने में विफल रहने के कारण राज्य सशक्त समिति द्वारा विनिश्चय लिया जाता है वहां राज्य सशक्त समिति सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी के विरुद्ध, जो विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आवेदन पर विनिश्चय करने में विफल रहा है, समुचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकेगी। निर्म है

(3) राज्य सरकार कोई भी अन्य कृत्य, जो वह उचित समझे, राज्य सराक्त समिति और जिला सशक्त समिति को समनुदेशित कर सकेंगी। कि किन्छ अर्क प्रकार

- 10. शंकाओं का निराकरण.-यदि इन नियमों को लागू करने या इनके निर्वचन में कोई कितनाई उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा। विकास हो हो कि का हिन्दू हो

माठिए के सिवारी मेहे कि अनुसूची—1 हम माठ शाक्शक वाराप (s) ए हिलाहर एपल्ड ए नियम 6 देखिए जन्छ ए एक्स हो कि कि कि कि

विभिन्न अनुज्ञाओं / अनुज्ञापनों के लिए समय सीमा 🐡 🐸 🕬 🕬

ф.	संबंधित	11600	12	अनुज्ञा / अनुजापन	समय-सीमा
सं.	विभाग /			THE NEW THE PROPERTY OF MEDI	(कार्य दिवसों
	संगठन	沙伐	1 199	शक्ता समिति आर, यथारियति, रा	के भीतर)
1	2 श्रम और	3	4	5 00	6
1.	श्रम और	(क)	HIT	कर्मकारों के स्वास्थ्य; सुरक्षा	पूर्ण आवेदन
	नियोजन विभाग	19.1	PIDA	और कल्याण की दृष्टि से	की प्राप्ति की
	1. कारखाना	110	in t	परिसंकटमय उद्योगों के लिए	तारीख से 45
	और बायलर्स	61.78	13018	स्थल अनुज्ञापन	दिन (\$)
	निरीक्षणालय	प्राजी	P X	पर विचार करने और उनके निपद	rapplio yio to.
	TOPHS VOL 10	(ख)		कारखाना अधिनियम, 1948	नक्शें सहित
	विद्यान विभिन्न व्यक्ती	916	111531	के अधीन कारखाना	
				अभिन्यास योजना का	प्रस्तत करने
	क मानि-मान क	SIA	H	अनुमोदन किए व विकास विश्	की तारीख से
	ारी द्वारा विभिन्नवय	p (All	Fish	नुझा के लिए प्रस्तुत आवेदन पर च	30 दिन
-	A THIN DESCRIPTION	11.11	17/3	फील्ड कार्यालय द्वारा	
	ज्योगिति कि क	36	6 1	कारखाना चलान के लिए	की प्राप्ति के
	, समुद्रित कार्रवाई	189	54	जारी की जाने वाली	45 दिन
	ं। गिर्म्हार ३	p B	शिक्ष	अनुज्ञप्ति	पश्चात्
	प्रजी के विस्ता के जिए			ला में जहां आवेदक दारा अस्त	माम हिन्नु (c)
	प्रचार गणाक के व	(घ)	Бай	मुख्य बायलर निरीक्षक द्वारा	
	समिति सम्बन्धित	7P151	y BE	बायलर का रजिस्ट्रीकरण	की प्राप्ति के
	क्षांत्रकारी प्रमानिकात	IE F	site :	s offe-time which to see	пожна
	एक एडीकारी कि	96	(i)	अन्तरिम आदेश	30 दिन
			(ii)		45 दिन

3 4 2. श्रम विभाग (क) क काम प्रक तस्य कि निष् (ख) कि है। जाई विकि जिल्लाम् कर्मान्याच कि है कि लिए महाया के प्राकृत (**घ**) PHR

10 दिन राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम, 1958 के अधीन दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण मोटर परिवहन कर्मकार 10 दिन अधिनियम, 1961 के अधीन अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण (ग) बीडी तथा सिगार कर्मकार 10 दिन अधिनियम, 1966 के अधीन अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण ठेका अम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन (i) प्रमुख नियोजक अधिष्ठानों 30 दिन का रजिस्ट्रीकरण (ii) ठेका श्रमिकों के नियोजन के 10 दिन लिए ठेकेदार की अनुज्ञप्ति का जांरी किया जाना औद्योगिक नियोजन (स्थायी (ভ) 45 दिन आदेश) अधिनियम, 1946 के 750 PO 10 अधीन 50 से अधिक श्रमिक रखने वाले अधिष्ठानों की अनुज्ञा भवन और अन्य सन्निर्माण 165 (च) 15 दिन कर्मकार (नियोजन तथा सेवा OF F शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अधीन अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण His मुपक अधिनियम, के अधीन 2. वाणिज्यिक कर (क) 24 घंटे विभाग रजिंस्ट्रीकरण

	2	3	4	5 5	6
एडी ।	र्क होति स	(ख)		के.वि.क. अधिनियम के	24 घंटें
	FIREISHE			अधीन रजिस्ट्रीकरण	
	म्बीसह सह	(ग)	7	कर समाशोधन प्रमाणपत्र	कर संदाय के
	वाणिणिक	9	ÎE	(Files)	व्यतिकम न
	PV of \$24	गेप	75 P	reside	होने की दशा
149	भ भक्तिक	PBE	Яp	75fr (e)	में 1 दिन
3.	तकनीकी शिक्षा	(ক)	r p	राज्य में आई.टी.आई.	विहित
	विभाग क्रकडिल	92 1	a li	पॉलिटेक्निक, इंजिनियरिंग	रूपविधान मे
HSI R				कॉलेज, एम.बी.ए., एम.सी.ए.	
	FFFSE AT	- 88	81 F	संस्थाओं की स्थापना के	ई.को आवेदन
	INVESTMENT OF THE	thy i	p fi	लिए राज्य सरकार के	फाईल करने
	Sie HAU	961	1,2	विचार/अनापत्ति प्रमाण पत्र	की सूचना की
				जारी करना	प्राप्ति से 30
				flare to	दिन
4.	राजस्व विभाग	(क)	rosi	भूमि संपरिवर्तन- राजस्थान	
				भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में	
607	to the second			कृषि भूमि का अकृषिक	
	Filters (5.0	प्रयोजनों के लिए संपरिर्वतन)	
	16/16	118		नियम, 2007 के अधीन	
F F E	a fitnes ca	la fin fi		भूमि-उपयोग का संपरिवर्तन	
	AT AND I		(i)	10 हैक्टर तक	जिला
	होक अधिक	1			कलेक्टर के
	fla Trisal				पूर्ण आवेदन
				THEFTE	के प्रस्तुत
हिंद	स्रिक्सिण	3-16	7fk	Early Vest	कपने से 30
		1		Total	दिन
	LAB PERSON			10 हैक्टर से अधिक	राज्य सरकार
				8887	को पूर्ण
				निर कि	आवेदन वे
98 A	निविद्या क	100	(a)	क्रियंका कर (क)	प्रस्तुत करने

1	2		3	4	5	6
s Sili Pon Siles		प्रजनी	(ख)		भूमि आवंटन-राजस्थान भू- राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र भूमि आवंटन) नियम, 1959 के अधीन	
isp.	जोई स् अंगेजित हो अ यह दिन		Site	(i)	जिला स्तर पर किये जाने वाले आवंटन की दशा में	कलक्टर के पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने से 30 दिन
- 1	आवेदान पाचित्र प्रे दिस	F. 98			सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होने की दशा में	राज्य सरकार को पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने से 60 दिन
1019	भाग न के अनु के ए		(ग)		भूमि अधिकतम सीमा में छूट	जिला कलक्टर के कार्यालय में पूर्ण आवेदन के प्रस्तुत करने की तारीख से
					(ग) = 3300 किसी जीव 2000 भार के जिए	राज्य सरका के स्तर पर ६० दिन
5.	ऊर्जा वि (जयपुर वितरण वि	विधुत	-	HQ.	विधुत कनेक्शन का जारी किया जाना	
5	लि.,)	Bits	O In	Tâ	ां) क्लेक्शन	4
Holls Hall	FIE (8)	-	(ক)		25 किलोवाट भार तक के लिए	
	I-\$1 0a	ф (S) (6	jš (Jařív:	(i)		आवेदन की प्राप्ति से 21 दिन

अनुपालन पश्चात् देन दन की त से 21
देन की
दन की
DEC C

1		2		3	4.	5 5	6
			7 1	Sylv	(ii)	कनेवशन जारी किया	मांग नोटिस
			Alp E	2 3	Mis	जाना थाग्ड	के अनुपालन
			₹ ° ea		HIS	ी (न्डमिस्)	के पश्चात
						rifing	30 दिनं यदि
				6)	УÞ	प्राच्य गान्यवी (i)	कोई संवर्धन
ep .	7 S F		ř.	195	(dp 1	STATE FOR	अपेक्षित न
-pé	16				12.		हो, अन्यथा
1	ħĮ						45 दिन
F	ी व्ह	19		(73)		25 किलोंवाट से अधिक और	
·				(3)	Tela	300 किलोवाट तक भार के	
1217				TES	rae.	लिए जिलावाट तक मार क	
						Total Commission in the condition of the	
	FP				(i)	मांग नोटिस जारी करना	आवेदन की
	网						प्राप्ति से 21
1	की वह						दिन
CPI	(P)	olul	58 B	1150	(ii)	व नैवशन का जारी किया	मांग नोटिस
151	विद्यान					जाना	के अनुपालन
do F	आवेत	P					के पश्चात्
9 (b)	17						60 दिन
F-E	(SH5	-19		(ree)		300 किलोवाट रो अधिक	
фу	1			(ग)			
da y	717			1.		और 2000 किलोबाट तक	
		FØ				भार के लिए	
			PIN	(p)	(i)	मांग नोटिस का जारी किया	
						जाना छठी । जान	प्राप्ति से 21
-						HUES	दिन
					(ii)	कनेक्शन का जारी किया	The control of the co
				177			के अनुपालन
			क का	30	-3	प्रति (क)	के पश्चात्
							60 दिन
5	175	-	IF	(-)	VIIV.	प्रशिक्त प्रमिप् (i)	
21				(घ)		2000 किलोवाट से अधिक	
						और 3000 किलोवाट तक	
						भार के लिए	

1	8 2		3	4		5 6
1	ाइ दिल	- 90	219	(i)	मांग नोटिस का जारी किया	आवेदन की
Challes	5 1 2 3 3 3 3 3		CO PO	E T	जानाकि5ीकार -	प्राप्ति से 60
		गहान	B	Hà	कि इस्ति	दिन
				(ii)	कनेक्शन का जारी किया	मांग नोटिस
	est at		7 D	15	जाना हाकइ (३)	के अनुपालन
			7/2	rite I	BYES SUEE	के पश्चात
		ind	जांत	Top	दशा में अनुका	60 दिन
	-sil er	-90	(ভ)	B	3000 किलोवाट से अधिक	
			1	1015	और 5000 किलोवाट तक	
	ाड दिन	- 2p	517	13	भार के लिए	
	1	Ide I	BUE	(i)	मांग नोटिस का जारी किय	आवेदन की
					जाना केम्प्रकृष्ट 💹 🗸 🗀	प्राप्ति सें 2
	नहीं हो		712	1,5	र्शायक देशकह (फ)	दिन
		F 8	U BY	(ii)	कनेक्शन का जारी किय	मांग नोटिस
			IO	Ain	जानाकानाहरू	के अनुपालन
	187				मनाठ क्षाउत्र -	के पश्चात
	15 ld-		919	133	(अ) इकाई कार्याक	120 दिन
6.	पर्यटन वि	माग	(ক)	E\1	परियोजना अनुमोदन	पूर्ण आवेदन
			bAI.	FIF	का आवंदन	के प्रस्तुत
			519	1	राम्य शास्त्री (ह)	करने क
	1.6				प्रमाप प्राची	तारीख से 4
						दिन
7.	रीको		(a)	75 B	उधार की मंजूरी	40 दिन
	25 दिस		(२५)	Py I	जाधोगिक क्षेत्रों में भूखण्डे का आवंटन	30 दिन
		TELEPH	(ग)	5 5	इकाई कार्यालय स्तर पर-	15 दिन
				il-lu	कृषि भूमि के भूमि उपयोग	-
			-IZE	FF 5	के संपरिवर्तन के संबंध मे	
					संबंधित प्राधिकारी के	
	नहीं का		7 7	HE B	अनापंत्ति प्रमाणपत्र का जारी	
	25 दिन		D A	77 13	किया जाना	

1	2		3	4	5 8	6
-	Factor.	1503	(घ)		इकाई कार्यालय स्तर पर-	15 दिन
G)	TE PRITE				आवंटिती द्वारा भूखण्ड के	
	1-31				विकय की दशा में अनुज्ञा	
	HE DON		13	RA	का अंतरण	
FER	Mile &		(ভ:)		इकाई कार्यालय स्तर पर-	15 दिन
	150 30				भूखण्ड धारक की मृत्यु की	
	F31 03				दशा में अनुज्ञा का अंतरण	
		35 (30)	(च)		इकाई कार्यालय स्तर पर-	15 दिन
			Sila		भूखण्डों का विलयन	
			(छ)		इकाई कार्यालय स्तर पर-	15 दिन
	/ Paris		BIII	V IN	रदद किये गये भूखण्डों का	
	is time		0	-	प्रत्यावर्तन	
71	1770		(ज)		इकाई कार्यालय स्तर पर-	15 दिन
	III- ma		19		किसी आवंटित भूखण्ड में	
	TPER AT				अप्राधिकृत संनिर्माण का	
	HIN W				हटाया जाना	
	1797 381		(झ)		इकाई कार्यालय स्तर पर-	15 दिन
	and - Jah		-E	PIP	भूमि की पटटी/अधिक भूमि	
	77 10				का आवंटन / विनियमितीकण	
	- Count		(স)		विकास प्रभारों के संदाय के	*
	S. REINE		(51)	1	लिए समय-अवधि का	
	1577				विस्तार	
	PFI 04			13	इकाई कार्यालय स्तर पर-	15 दिन
	30 R			10	प्रधान कार्यालय स्तर पर-	25 दिन
			/ >		Fapile (rp)	
	15 12		(ट)	JE	आवंटित भूखण्ड का उपयोग	
				The .	करने (परियोजना को पूर्ण	
	and a		100	eu-	करने) के लिए समय-अवधि	
			190	HI SI		_
			(cp:	chi	इकाई कार्यालय स्तर पर-	15 दिन
	2				प्रधान कार्यालय स्तर पर-	25 दिन

1	0 2		3	4		6
	-Si de		(궁)	06	आवंटित भूखण्ड के उप	H Bister
					विभाजन की अनुज्ञा	पासकी
					प्रधान कार्यालय स्तर पर –	45 दिन
			(ड)		किसी आवंटित भूखण्ड के	
	F 03		βĎ	G p	भूमि उपयोग में संपरिवर्तन/	
			Sp	8 10	परिवर्तन प्रधान कार्यालय	30 दिन
	क्त दिन		pþ	316	स्तर पर-	
		-	(ਫ)	Ph	सैट बैक में शिथिलीकरण	
	est as	प्रति			इकाई कार्यालय स्तर पर-	15 दिन
		प्राची	南		प्रधान कार्यालय स्तर पर-	30 दिन
3.	कृषि / कृषि	BIE	(ক)	5	उर्वरक-निम्नलिखित के	33 141
	विपणन वि	भाग			लिए अनुज्ञा प्राधिकार/	
		NES	1		विनिर्माण प्रमाणपत्र	
					क. उर्वरक–100 प्रतिशत	*
					जल विलय/सूक्ष्म कण	
		o)r				
				0.7	ख जीव—खर्चरक	
			re-d	auto.	ग. कार्बोनिक उर्वरक –	
				4	(i) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की	30 दिन
		E THIS	0	21. 0	आदेश, 1985 की	
		DININ		Sh.	आदेश, 1985 की धारा 9 के अधीन	
					विकय पाहीकार	
			110	I CO	(ii) उर्वरक (नियंत्रण)	45 दिन
		ALI SALES	17	7	आदेश, 1985 की	
		I I I		Ity	धारा 15 के अधीन	
+					प्रकार विनिर्माण प्रमाणपत्र	- N
				1		प्रयोगशाला
						से जांच
15		IND P	nis.	FIRE		रिपोर्ट की
						प्राप्ति के
	20 1	(Also	7 1	1	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	पश्चात् 5
1						दिन

1	2	3	4	52	6
	FFI I		(dp)	प्राधिकरण की स्कीमों में भूखण्ड के हक का अंतरण .	
		(झ)		गृह निर्माण सहकारी समिति	20 दिन
	। दिन			की स्कीम में हक का अंतरण	
File	e ⊕ (A) a H	(31)	gá inst	1500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखण्डों का उप—विभाजन और पुर्नसंगठन	25 दिन
5 18	ल एजेन्सी दन की कार्यवा	(5)		500 वर्ग मीटर तक	22 दिन
10.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय	1		औषधि अनुङ्गप्ति	i feyab
-	- PPI-B		(i)	थोक	15 दिन
1000			(ii)	युदरा	15 दिन
		(ख)	707	गोज बैंडेज, कॉटन, रिपेकिंग का विनिर्माण	45 दिन

अनुसूची—2 नियम 6 देखिए

या आवरन / अनुरोध

भाग-क राज्य सशक्त समिति/जिला सशक्त समिति के लिए नोडल एजेन्सी के

那. स.	के लिए	समय सीमा कि जिनिह	समय-सीमा (कार्य दिवस के भीतर)
1		2 4 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.	विनिधानकर्ता से कार्यवाही	प्राप्त आवेदन पर	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY
2.	सक्षम प्राधिकारी करना	को आवेदन अग्रेषित	क्र.स. 1 पर उल्लिखित कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात् 5 दिन

1	8	2 8	3 4	3	
3.	सक्षम	प्राधिकारी द्वारा चार	डी गयी	1 दिन	
	अतिरिक	त जानकारी के अपेक्षित	पंत्र को		
	अग्रेषित	करना विकास मिल	河 (限)		
4.	आवेदक	से प्राप्त अतिरिक्त जान	कारी की	1 दिन	THE
	सूचना	सक्षम प्राधिकारी को	200300000000000000000000000000000000000		
	.करना		(E)		
5.	अनुज्ञा एजेन्सी	के लिए आवेदन प्रस्तुत			
	(i) ऐसे	मामलों में विनिश्चय	के लिए निय	ाम 5 (4) को अ	अनुसार
	संबंधित	संशक्त समिति के स	मक्ष जहां नोर	इल एजेन्सी	को
	संबंधित	सक्षम प्राधिकारी	विहित आवे	ादन की कार्यव	ाही के
	समय	तीमा के भीतर आवेदन	विनिश्चित अभि	लेख के साथ	आवेदन
	करने में	विफल रहा है।	की	प्राप्ति से गण	ना कर
			10	दिन	
	(ii) संब	धित सशक्त समिति के	अध्यक्ष के	5 दिन	
F	समक्ष र	ादि समिति बैठक करने	में असमर्थ		
	ਹਦੀ ਦੇ	या आवेदन पर तुरन्त वि	बार करने		
	में अन्य	था असमर्थ रही है।	160		
6.	रियायत	ॉ, छूटों या शिथिली व	रणों या आव	दन / अनरोध	की
		त पैकेजों की मंजूरी			
	10000000	/अनुरोध पर सक्षम प्रा	CO. A. Draw S.		
		विभागों या प्राधिकारी			
	जाने वा			विश्ववद्यं स्वाया	
~	- गंगिलन	संशक्त समिति को		ट विच	
7. 919	A SECTION STATES	करना, यदि	and the same of th	b lear	.78
	1 2				
,	-	री/संबंधित विभाग या		indi-iself	
	1 0 0000	र विहित समय-सीमा	क भातर,		
	प्राप्त ह	ई हों / नहीं हुई हों	1		

भाग-ख

मंत्री परिषद् को सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए राज्य सशक्त समिति के लए समय—सीमा

क्र. सं.	के लिए समय-सीमा	समय—सीमा (कार्य भीतर)	दिवस के
1.	मंत्री परिषद् को रियायतों, छूटों या शिथिलीकरणों या अनुकूलित पैकेजों की मंजूरी के लिए आवेदन/प्रार्थना पर सिफारिशें	30 दिन	E FIRST

भाग-ग

रियायतों, छूटों या शिथिलीकरणों या अनुकूलित पैकेंजों की मंजूरी के लिए आवेदन/अनुरोध पर नोडल एजेन्सी से पूछे गये टिप्पण प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी/संबंधित विभागों या प्राधिकारी के लिए समय सीमा 25 कार्य दिवस होगी।

भाग-घ क्राप्त के विकास का कि कि

यदि सक्षम प्राधिकारी विहित समय—सीमा में कोई विनिश्चय लेने में विफल रहता है तो राज्य सशक्त समिति/जिला सशक्त समिति के लिए अनुज्ञाओं/अनुज्ञापनों के लिए आवेदन पर कार्यवाही करने की समय—सीमा 30 कार्य दिवस होगी जिसकी गणना नियम 5(4) के अनुसार नोडल एजेन्सी को आवेदन पर कार्यवाही के अभिलेख के सांथ आवेदन की प्राप्ति से की जायेगी।

प्ररूप—1 नियम 3 (4) देखिए

विष्कृ के विकास कि विश्व स्व-प्रमाणन

	में / हम			पुत्र			
निवासी						और	
मैसर्स					का	प्राधिकृ	त
हस्ताक्षर	रकर्ता इसके	द्वारा निम्नलि	खित कथन व	_{करता हूं/हैं}	:-		
1. कि	मैंने / हमने	राजस्थान र	उद्यम एकल	खिड़की	सामर्थ्यक	री औ	र
अनुः	ज्ञापन अध्या	देश, 2010 के	उपबंधों के उ	अधीन			
के र्	लिए आवेदन	किया है।					

143(18) राजस्थान राज-प	त्र, जनवरी 26, 2011 भाग 4 (ग)
2. कि मैंने / हमने समस्त सुसंगर उसका पालन करने का जिम्म	: विधिशों का अध्ययन कर लिया है और । लेता हूं।
	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
स्थान : हिनी ०६	मैसर्स
तारीख:	या शिक्षिकरणों य प्रकृति के तत
	प्ररूप-2 अमे ।।-।आर रा-इनाल
नियम	4 (1) देखिए मिर्फ क्रिका
	द्वारा अभिस्वीकृति
रसीद सं./रजिस्ट्रीकरण आई.डी.	प्रिकृतिक । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
	त्रविकार क्षित्रकारीय प्रक्षात्र प्राठी के निष्ठक
	से थीम 25 नार्य विवस होमा १०
	B-nile
	यदि सक्षम् प्राधिकारी विक्रित नः
	समय-सीमा ३० काय दिवस धोमी जिसक
3.क अभिलेख के साथ आवदन के.	नोडल एजेन्सी को आवेदन पर व्यविवाही व
4.	
	प्रकप-1
	नियम ३ (४) दे
	पानप्र- प्राधिकृत अधिकारी के मुद्रा
	सहित हस्ताक्षर
का प्राधिकृत न करता हुं/ हैं :- कल खिडकी सामवर्शकारी और के अधीन	[संख्या एफ. 14 (5) उद्योग/1/2010] राज्यपाल के आदेश से, श्याम लाल गुर्जर, शासन उप सचिव।